संख्या 1408/जी0एस0(शिक्षा)/A11-163/2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड — देहरादून दिनांक 26 मार्च, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण कमांक 230703021659, दिनांक 13.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा, (धारमण्डल), टिहरी गढ़वाल को बी0एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 तथा एम0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय अगरोड़ा, (धारमण्डल), टिहरी गढ़वाल।	**बी0एससी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित)	60 सीट प्रति विषय	2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24
		बी0एससी0 (वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		एम0ए0–राजनीति विज्ञान	30 सीट	2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24
		एम0ए0–भूगोल	25 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- संस्थान में भवन मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा, यदि किसी भी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय का बी0एससी0 पाठ्यक्रम में 04 सत्रों का एवं एम0ए0 पाठ्यक्रम में 05 सत्रों का सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव एक साथ प्रेषित किया गया है इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि महाविद्यालय बिना सम्बद्धता के 03–04 सत्रों से संचालित हो रहा है। इस प्रकार ही अन्य महाविद्यालयों के 04–05 सत्रों के प्रस्ताव एक साथ प्रेषित किये जा रहे हैं, जो कि कदाचित उचित नहीं है। विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत महाविद्यालय सहित, विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अन्य महाविद्यालयों/संस्थानों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय प्रेषित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman
Date: 26-03-2024 14:43:42

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 1408/जी0एस0(शिक्षा)/**A11-163/2018** तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

ह0

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।